

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)  
शिकुर मोहम्मद बनाम ब.रा.रा.म.

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 234/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>शिकुर मोहम्मद</u></p> <p>पिता श्री <u>जकीर मोहम्मद मुल्लामाजी</u></p> <p>निवासी- <u>सावा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सावा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1410, 1417, 1409, 1418, 1419, 3204/1408</u> <u>0.12, 0.17, 0.26, 0.29, 0.28, 0.16</u></p> <p>कुल कीता <u>2+4=06</u> कुल रकबा <u>1.2800</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सावा (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1410, 1417, 1409, 1418, 1419, 3204/1408</u> <u>0.12, 0.17, 0.26, 0.29, 0.28, 0.16</u></p> <p>कुल कीता <u>2+4=06</u> रकबा <u>1.2800</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>10000=40</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>